

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 133/2023-24

दिनांक : 25.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुरेश पुत्र श्री महेन्द्र पाल,
वार्ड नं० 13, हरिजन बस्ती, किच्छा।

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुरेश पुत्र श्री महेन्द्र पाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC2G32813972 (04 किलोवाट घरेलू) पर विद्युत मीटर लगा है, परन्तु उनका विद्युत बिल आईडीएफ के आधार पर बहुत अधिक धनराशि का बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रु० 23307.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 16.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 05.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) व श्री दिनेश चन्द्र गुरांनी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-504 दिनांक 22.09.2023 के

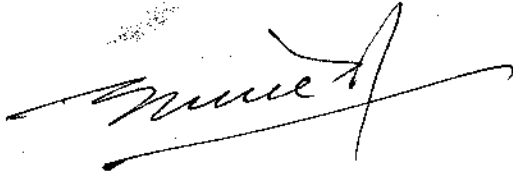
क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर लगे विद्युत मापक की जांच चैक मापक लगाकर की गयी जिसमें परिवादी के परिसर पर लगा विद्युत मापक सही चलता पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

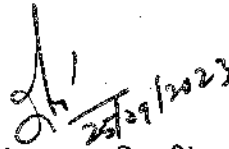
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर दिनांक 05.09.2023 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 18.09.2023 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना/मुख्य मीटर सही चलता पाया गया। नियमानुसार सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

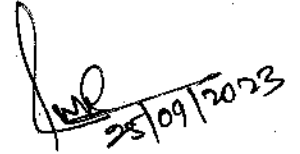
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य